न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं०	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15 / 91 / 2023	2023 / 257	30.10.2023	15.05.2023

1. अख्तर पुत्र नसीब खां जाति मेव निवासी ग्राम चावण्डी कलां तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज०)

प्रार्थी

बनाम

1. नीर मौहम्मद पुत्र मौहम्मदी जाति मेव निवासी ग्राम ग्वालदा तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज०)
2. तहसीलदार कम पंजियन तिजारा तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) भू० आंवटन अधिनियम 1970 विरूद्ध आदेश दिनाक 08.09.1975 तहसीलदार कम मैनेजिग ऑफिसर तिजारा

उपस्थितः–

01. श्री दमन कुमार यादव – वकील प्रार्थी

02. श्री विनोद कुमार सिंघल – वकील अप्रार्थी सं0–1

–:: निर्णय::–

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भू–आवंटन नियम 1970 विरूद्ध आदेश दिनांक 08.09.1975 तहसीलदार कम पंजियन तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज०) जिसके द्वारा आराजी साबिक खसरा नम्बर 1521 रकबा 5 बीघा हाल खसरा नम्बर 1521 / 1644 रकबा 1.26 हैक्टयर वाके ग्राम चावन्डीकलां तहसील तिजारा बेजा तौर पर खिलाफ कानून, खिलाफ मौका, अप्रार्थी सं० 01 को आवंटन किया गया है, को निरस्त किए जाने बाबत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया है। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा नम्बर 1521 रकबा 5 बीघा हाल खसरा नम्बर 1521 / 1644 रकबा 1.26 हैक्टेयर वाके ग्राम चावन्डीकलां तहसील तिजारा जिला खैरथल तिजारा में स्थित है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 1521 रकबा 5 बीघा अप्रार्थी संख्या 02 तहसीलदार कम पंजीयन द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 को दिनांक 08.09.1975 के द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1966 की धारा 101 के अन्तर्गत कृषि परियोजनार्थ हेतु आवंटन की गई. उपरोक्त आराजी खसरा नं० 1521 रकबा 5 बीघा हाल खसरा नम्बर 1521 / 1644 रकबा 125 हैक्टेयर वाके ग्राम चावन्डीकलां तहसील तिजारा जिला खैरथल तिजारा से कमी भी अप्रार्थी सं० 01 का कोई सम्बन्ध व सरोकार किसी प्रकार का नहीं रहा है। उक्त आराजी पर मिन प्रार्थी अपने पिता नसीब खां पुत्र जैनू खां के जीवनकाल से काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 01.07.2021 से यह साबित है,

कि मौके पर प्रार्थी व उसके पिता का कब्जा चला आ रहा है. और मौके पर बाजरा की फसल बो रखी है, तथा उक्त आराजीयात पर नीरमौहम्मद का कब्जा नहीं है। मौके पर नसीब पुत्र जैनू अख्तर पुत्र नसीब खां का कब्जा है। इस प्रकार उक्त आराजी पर कभी भी आवंटन से पूर्व अथवा बाद आंवटन अप्रार्थी सं० 01 का कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा अप्रार्थी सं० 01 आराजी मुतनाजा से गैरवास्ता एवं गैरकाबिज शख्स है तथा वर्तमान में भी अप्रार्थी संख्या 01 का कोई कब्जा काश्त नहीं है। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 को जो आवंटन किया गया है, विधि विरुद्ध किया गया है। उपरोक्त आराजी मुतनाजा पर सदैव से प्रार्थी व उसके पिता के कब्जे काश्त की भूमि रही है, जो कि साबिक राजस्व रिकॉर्ड व पटवारी हल्का रिपोर्ट से पूरी तरह साबित है। उक्त आराजी पूर्व में बंजड पडी हुई थी, जिसे प्रार्थी के पिता नसीब खां द्वारा साफ सुथरा कर एवं काबिल काश्त बनाया तथा काफी जिस्मानी मेहनत की एवं काफी रूपया खर्चा कर काश्त के योग्य बनाया। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 01 को आज तक दखल किसी प्रकार का मौके पर नहीं दिया है। अप्रार्थी ग्राम चावन्डीकला का निवासी भी नहीं है। जबकि वह ग्राम ग्वालदा का रहने वाला है, तथा ग्राम ग्वालदा में अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से कृषि भूमि मौजूद है, और ग्राम चावन्डी कलां से ग्वालदा करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित है. ऐसी स्थिति में भी अप्रार्थी संख्या 01 को उक्त भूमि आंवटित नहीं की जा सकती थी। आराजी मुतनाजा को आवंटन करने से पूर्व अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा न तो कोई प्रोफोलेशन जारी किया गया ना ही उक्त आवंटन आदेश की कोई किसी प्रकार से सार्वजनिक सूचना गांव में प्रकाशित करायी गई है। विवादित आराजी पर हमेशा से प्रार्थी व उसके पिता के कब्जे काश्त की रही है, और आज भी मौके पर प्रार्थी का कब्जा काश्त मौजूद है तथा उक्त विधि विरूद्ध आवंटन किया गया है तथा मौके एवं रिकॉर्ड के विरूद्ध किया गया है। कानूनन आंवटित भूमि पर आवंटन के प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत हिस्से एवं दूसरे वर्ष सालिम आंवटित भूमि पर काश्त किया जाना अनिवार्य होता है, लेकिन आंवटन आदेश से आदिनांक तक आराजी मुतनाजा पर कभी भी अप्रार्थी सं० 01 ने काश्त नहीं की और न ही उनका कोई कब्जा रहा है। आवंटित भूमि पर आवंटन के पश्चात पश्चात नियमानुसार आवंटी को दखल दिलाया जाता है, लेकिन आज तक आवंटी अप्रार्थी को कोई दखल नहीं दिया है। आराजी मुतनाजा आज भी सदैव से ही प्रार्थी व उसके पिता के कब्जे काश्त के उपयोग व उपभोग में आ रही है। आवंटी भूमिहीन व गरीब किसान नहीं था. बल्कि साधन सम्पन्न व सरकारी नौकरी में नियुक्त है। अप्रार्थी सं० 01 से अप्रार्थी सं० 02 ने साजबाज होकर गलत नाम से भूमि आंवटित की है। अप्रार्थी संख्या 01 भूमिहीन नहीं है बल्कि के पास पैतृक भूमि है। अप्रार्थी संख्या 01 व अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा कानूनी प्रावधानो की पूर्ण पालना नहीं की है। भूमि आवंटन से पूर्व मिन प्रार्थी को न तो तलब किया गया और न ही साक्ष्य सफाई का कोई अवसर प्रदान किया गया, जबकि अप्रार्थी संख्या 02 को उक्त भूमि पर मिन प्रार्थी व उसके पिता का कब्जा काश्त होने के संबंध में पूरी जानकारी रही है। विवादित आराजी अप्रार्थी संख्या 02 ने अप्रार्थी संख्या 01 से साजबाज होकर प्रार्थी व ग्राम वासियो व अन्य आम व्यक्तियो की गैरमौजूदगी व गैर जानकारी में आवंटन की गई है। जिसकी सर्वप्रथम जानकारी प्रार्थी को दिनांक 01.07.2021 को हुई, जब पटवारी हल्का मौके पर आया तो उसने उक्त आवंटन की जानकारी दी। इसके पश्चात अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थी के कब्जे काश्त में रूकावट मजाहमत की व अपने नाम आराजी आवंटित करना बताया तथा धमकी दी कि शीघ्र ही उक्त आराजी को खातेदारी में परिवर्तन करा कर आराजी मुतनाजा को दीगर लोगो को विक्रय करके रहूंगा। जिस पर प्रार्थी ने जुलाई 2021 में समस्त दस्तावेजात की नकल प्राप्त की तथा अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा उपखण्ड अधिकारी तिजारा के न्यायालय में धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा किया जो एकपक्षीय डिकी करा लिया जिसकी अपील मिन अप्रार्थी द्वारा न्यायालय भू–प्रबंध एवं राजस्व अपील अधिकारी अलवर के समक्ष पेश की जिसका निर्णय होने पर उसकी निगरानी राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में पेश की। इसी दौरान अभिभाषक के द्वारा उक्त भूमि आंवटन आदेश को चेलेन्ज करने सलाह दी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 14 (4) स्वीकार फरमाया जाकर भूमि आवंटन आदेश दिनांक 08.09.1975 तहसीलदार कम पंजीयन तिजारा तहसील आराजी खसरा नम्बर 1521 रकबा 5 बीघा हाल खसरा नम्बर 1521/1644 रकबा 1.26 हैक्टेयर वाके ग्राम चावन्डीकलां तहसील तिजारा के राजस्व रिकार्ड से अप्रार्थी का नाम हटाया जाकर प्रार्थी को आवंटन किये जाने की निवेदन किया गया है।

विद्वान वकील अप्रार्थी सं0–1 ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि आराजी खसरा नंबर 1521 रकबा 5 बीघा हाल खसरा नम्बर 1521/1644 रकबा 1.26 हैक्टयर वाके ग्राम चावन्डीकलां तहसील तिजारा में तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर, तिजारा द्वारा दिनांक 08.09.1975 को भूमि अलॉट की गई थी, उसी समय अप्रार्थी को मौके पर कब्जा दिया गया था, जिसकी अप्रार्थी ने वर्ष 1975 में कीमत जमा कराई और शेष कीमत दिनांक 06.12.1988 को चुकता किया गया था और दिनांक 30.04.1989 को उक्त भूमि का सनद पट्टा अप्रार्थी को दिया गया था। प्रार्थी का अप्रार्थी की आराजी पर कभी कब्जा नहीं रहा है, और न ही प्रार्थी के द्वारा उक्त विवादित आराजी को जोता गया है, अप्रार्थी के द्वारा नसीर खां पुत्र बाले खां को उक्त आराजी बटाई पर दी गई थी, जो अप्रार्थी का मामा का लडका लगता है, को 15 मन अनाज प्रार्थी अप्रार्थी को हर वर्ष देता था। अप्रार्थी सन् 2011 में अपनी नौकरी से रिटायर्ड हुआ तब प्रार्थी बटाईदार नसीब खां से जमीन खाली कराई और हर वर्ष अप्रार्थी जमीन को जोतने बोने जाता था। रिटायरमेन्ट के पश्चात मुकदमा नं0 313/2011 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा के यहां धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया, जिसमें प्रार्थी जानबूझ कर नोटिस की तामील होने के बाद भी उपस्थित नहीं हुए। दिनांक 24.08.2017 को प्रार्थी के विरूद्ध वाद डिकी कर दिया, डिकी के पश्चात भी कभी भी प्रार्थी जबरदस्ती अप्रार्थी की अलॉटशुदा जमीन की जुताई बुआई करते थे एवं मौके पर अप्रार्थी का ही कब्जा रहा है। प्रार्थी गैरकाबिज गैरवास्ता आराजी है। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 01.07.2021 की मौका रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि उक्त आराजी खातेदार नीरमौहम्मद की कब्जे काश्त की आराजी है, एवं प्राथी ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है. ऐसी स्थिति में टीम गठन कर पुलिस जाब्ते का सहयोग लिया जाकर, उक्त आराजी को खाली कराया जा सकेगा। जिस पर तहसीलदार तिजारा द्वारा दिनांक 08.07.2021 को टीम गठित की गई और थानाधिकारी तिजारा के द्वारा उक्त आराजी को खाली कराने के आदेश दिये गये। प्रार्थी ने अलॉटमेंट से पूर्व व पश्चात में ऐसा कोई रिकार्ड कब्जे के बाबत प्रस्तुत नही किया है। अप्रार्थी नीरमौहम्मद ने दिनाक 08.09.1975 को अलॉटमेंट के पश्चात आराजी पर दखल दिया गया और गैरखातेदारी का नामान्तकरण न० 17 दर्ज किया गया एवं उसके पश्चात दिनाक 2.09.1988 को खातेदारी प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त कर कीमत जमा कराने के पश्चात अप्रार्थी के हक में दिनाक 03.04.1989 को खातेदारी का पटटा दिया गया। अप्रार्थी नीरमौहम्मद को दिनाक 08.09.1975 को अलाटमेंट के पश्चात कब्जा दिया गया है, और खसरा गिरदावरी 2035 के अनुसार कब्जा दिया है, और 2079 तक की गिरदावरी में भी कब्जा अप्रार्थी का ही है। अलॉटमेंट के वक्त अप्रार्थी के नाम कोई जमीन आंवटित नही थी, व उसके पिता के पास करीब 2 बीघा जमीन थी, और वह पिता से अलग चावण्डी में अपने माता के यहा रहता था। अप्रार्थी को जब भूमि आंवटित की गयी उस समय भूमिहीन व बेरोजगार व्यक्ति था। राजकीय सेवा में वह 1979 में आया और सन 2011 में सेवानिवृत हो गया। मौके व राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार रेस्पोडेन्ट की ही आराजी है। अप्रार्थी को उक्त आराजी की बाबत जानकारी थी, क्योकि वर्ष 2011 में ही प्रार्थी के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा के यहां हुक्मइम्तनाई का वाद पेश किया गया था, जिससे वर्ष 2017 में निर्णित किया गया। दिनांक 01.07.1981 की कहानी प्रार्थी के द्वारा मनघंडत दर्ज की है, क्योंकि प्रार्थी ने दिनांक 18.06.2021 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा के यहां नाजायज कब्जा हटाने हेतु पेश किया गया था, जिस पर तहसीलदार तिजारा ने दिनांक 12.07.2021 को पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर कमेटी गठित की गई थी। जिसमें भू–अभिलेख निरीक्षक एवं थानाधिकारी की कमेटी गठित की गई थी, और कब्जा हटाने को कहा। यह कहना गलत है, कि प्रार्थी को इस बात की जानकारी न हो कि अप्रार्थी को दिनांक 08.09.1975 को उक्त भूमि का आवंटन किया गया था, अप्रार्थी को दिनांक 08.09.1975 तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर तिजारा ने आराजी खसरा नंबर 1521 रकबा 5 बीघा हाल खसरा नम्बर 1521/1644 रकबा 1.26 है० वाके ग्राम चावन्डीकलां तहसील तिजारा का सही रूप से अलॉटमेन्ट किया था और वक्त अलॉटमेन्ट करीब 48 साल से रेस्पोडेन्ट उक्त जमीन पर काबिज है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे, क्योंकि प्रार्थी को न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से अनुतोष प्राप्त नहीं हुआ है, तो वह अनुतोष प्राप्त करने का काई अधिकारी नही है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील प्रार्थी/अप्रार्थी की बहस पर मनन किया वकील प्रार्थी का कथन है, कि आराजी खसरा नं० 1521 रकबा 5 बीघा हाल खसरा नम्बर 1521/1644 रकबा 1.26 हैक्टेयर वाके ग्राम चावन्डीकलां तहसील तिजारा जिला खैरथल तिजारा से कभी भी अप्रार्थी सं० 01 का कोई सम्बन्ध व सरोकार किसी प्रकार का नहीं रहा है। उक्त आराजी पर मिन प्रार्थी अपने पिता नसीब खां पुत्र जैनू खां के जीवनकाल से काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 01.07.2021 से यह साबित है, कि मौके पर प्रार्थी व उसके पिता का कब्जा चला आ रहा है, और मौके पर बाजरा की फसल बो रखी है, तथा उक्त आराजीयात पर नीरमौहम्मद का कब्जा नहीं है। मौके पर नसीब पुत्र जैनू, अख्तर पुत्र नसीब खां का कब्जा है। इस प्रकार उक्त आराजी पर कभी भी आवंटन से पूर्व अथवा बाद आंवटन अप्रार्थी सं० 01 का कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा अप्रार्थी सं० 01 आराजी मुतनाजा से गैरवास्ता एवं गैरकाबिज शख्स है तथा वर्तमान में भी अप्रार्थी संख्या 01 का कोई कब्जा काश्त नहीं है। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 को जो आवंटन किया गया है, विधि विरुद्ध किया गया है। वकील अप्रार्थी का कथन है, कि आराजी खसरा नंबर 1521 रकबा 5 बीघा हाल खसरा नम्बर 1521/1644 रकबा 1.26 हैक्टयर वाके ग्राम चावन्डीकलां तहसील तिजारा में तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर, तिजारा द्वारा दिनांक 08.09.1975 को भूमि अलॉट की गई थी, उसी समय अप्रार्थी को मौके पर कब्जा दिया गया था, जिसकी अप्रार्थी ने वर्ष 1975 में कीमत जमा कराई और शेष कीमत दिनांक 06.12.1988 को चुकता किया गया था और दिनांक 30.04.1989 को उक्त भूमि का सनद पट्टा अप्रार्थी को दिया गया था। प्रार्थी का अप्रार्थी की आराजी पर कभी कब्जा नहीं रहा है, और न ही प्रार्थी के द्वारा उक्त विवादित आराजी को जोता गया है, अप्रार्थी के द्वारा नसीर खां पुत्र बाले खां को उक्त आराजी बटाई पर दी गई थी पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 01.07.2021 की मौका रिपोर्ट में यह अंकित किया है, कि उक्त आराजी खातेदार नीरमौहम्मद की कब्जे काश्त की आराजी है, एवं प्राथी ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, ऐसी स्थिति में टीम गठन कर पुलिस जाब्ते का सहयोग लिया जाकर, उक्त आराजी को खाली कराया जा सकेगा। जिस पर तहसीलदार तिजारा द्वारा दिनांक 08.07.2021 को टीम गठित की गई और थानाधिकारी तिजारा के द्वारा उक्त आराजी को खाली कराने के आदेश दिये गये। प्रार्थी ने अलॉटमेंट से पूर्व व पश्चात में ऐसा कोई रिकार्ड कब्जे के बाबत प्रस्तुत नहीं किया है। अप्रार्थी नीरमौहम्मद ने दिनाक 08.09.1975 को अलॉटमेंट के पश्चात आराजी पर दखल दिया गया और गैरखातेदारी का नामान्तकरण न० 17 दर्ज किया गया एवं उसके पश्चात दिनाक 2.09.1988 को खातेदारी प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त कर कीमत जमा कराने के पश्चात अप्रार्थी के हक में दिनाक 03.04.1989 को खातेदारी का पटटा दिया गया। अप्रार्थी नीरमौहम्मद को दिनाक 08.09.1975 को अलाटमेंट के पश्चात कब्जा दिया गया है, और खसरा गिरदावरी 2035 के अनुसार कब्जा दिया है, और 2079 तक की गिरदावरी में भी कब्जा अप्रार्थी का ही है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) साक्ष्य के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाता है. निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवायी जाये। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनाक 15.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ० आतिका शुक्ला)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज०)